

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


शम्भु सिंह पिता प्रभु सिंह राजपूत नि. धांधोला

बनाम

आरागी पत्नि धर्मराज भीणा नि. छाजेला का खेडा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 192/2021

तारीख हुमम	हुमम या कार्यवाही गय इनिशियल्स अज	नाम्बर व तारीख अहकाम जो हुमम की तामील में जारी हुये
24.11.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संगुक्त खाते की भूमि ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1287, 1288, 1289, 1290, 1291 कुल कित्ता 5 रकबा 3.2184 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। परन्तु उक्त पडोसीगण को सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। प्रोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1287, 1288, 1289, 1290, 1291 कुल कित्ता 5 रकबा 3.2184 है. की बसागरात पडोसीगण के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500- रु. तय किया जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. अजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को विवेक जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 24.11.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी,
 जहाजपुर, भीलवाडा